चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश जूडिसियल मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनाँक 04.04.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 178/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस

एक्ट के आरोपी अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र वीरेन्द्र निवासी मवईकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा मु.अ.स. 78/2025 धारा 115(2),110,118(1),333,351(2),109(1) बीएनएस के नामजद वांछित अभियुक्त विजय पुत्र गुलाबचन्द्र निवासी ग्राम चकौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी के गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.03.2025 को वादिया श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी रामकिशोर निवासी चकौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दिया गया कि ससुर सूरजभान पुत्र सुखलाल व सास यशोदिया पत्नी सूरजभान को विजय पुत्र गुलाबचन्द्र द्वारा घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारपीट करना । इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 78/25 धारा 115(2),110,118(1),333,351(2),109(1) बीएनएस बनाम विजय पुत्र गुलाबचन्द्र निवासी ग्राम चकौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । आज दिनाँक 04.04.2025 को थाना मऊ पुलिस टीम ने अथक प्रयास करते हुये धवाड़ा चौराहा थाना मऊ से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पूंछताछ में अभियुक्त ने बताया कि कुल्हाड़ी को रोड किनारे झाड़ियों में छिपा दिया है। अभियुक्त के बताए स्थान पर आया तो अभियुक्त ने कुल्हाड़ी को झाड़ियों से निकालकर दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

विजय पुत्र गुलाबचन्द्र निवासी ग्राम चकौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट

<u>बरामदगीः-</u>

घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री हरीशंकर राम
3. आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

(4).आज दिनाँक-04.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा शुक्रवार की परेड की सलामी लेकर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में आकस्मिक परिस्थिति व सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था व समाज में सुरक्षित/भय मुक्त वातावरण बनाने के लिये पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में थाना/चौकी/पुलिस लाइन के पुलिस बल द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में बलवा/दंगा नियंत्रण ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल की 10 पार्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं आर्मोरर द्वारा एण्टी राइड गन, गैस गन एवं पम्प एक्शन गन को हैण्डलिंग करने एवं प्रयोग करने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया। अधि0/कर्म0गण द्वारा विधि विरूद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन (गैस गन), हैंड ग्रेनेड, सैल आदि के प्रयोग का पूर्वाभ्यास भी किया गया । मॉक ड्रिल के दौरान दंगाइयों/बलवाइयों पर प्रयोग करने वाले एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं इनके प्रयोग करने के तरीके के बारे

में अवगत कराया गया ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में सिखलाए गए तरीकों से ऐसी परिस्थितियों का अच्छे से सामना किया जा सकें।

दंगा नियन्त्रण मॉक ड्रिल में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर जय करन सिंह, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे ।

(5).आज दिनाँक 04.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह, एसओजी/स्वॉट टीम प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी एवं थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह की उपस्थिति में थाना राजापुर अन्तर्गत दिनाँक 30.03.2025 को विवाहिता जैनब पत्नी साहिल खान निवासी सायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा आत्महत्या कर लेना तथा पति द्वारा शव को यमुना नदी में फेंके जाने की सूचना पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पति के स्वीकार व निशादेही के आधार पर स्थानीय गोताखोर व एसडीआरएफ की टीमों से लगातार खोज कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के अनावरण हेतु 04 टीमों को गठन किया गया तथा टीमों को निर्देशित किया गया कि घटना का जल्द से जल्द अनावरण कर आवश्यक कार्यवाही करें।
इस पर थाना राजापुर में विवाहिता के पिता शाहबे आलम की तहरीर पर दिनाँक 02.04.2025 को मु.अ.सं. 69/2025 धारा 85,80(2),238(बी) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। पति ने पूछंताछ में स्वीकार किया कि पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था, डर से उसने उसे बोरे में भरकर यमुना नदी में फेंक दिया । थाना राजापुर पुलिस स्थानीय लोगों से लगातार पूंछताछ कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी कर रही है, साक्ष्य संकलन के आधार पर ठोस अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

(6). Advisory
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होने वाले किसान भाईयों की रुकी हुई किस्त के पैसे को डिजिटल खाता खोलकर ठगी करने वाले ठगों से सावधान

साइबर ठगी का प्रकार-
साइबर ठगों द्वारा जनपद के ग्रामीण इलाकों में घर-घर जाकर बताया जाता है कि आपकी किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आपका खाता बंद होने के कारण रुकी हुई है जिसे पुनः प्राप्त करने हेतु नया खाता खुलावाने की जरुरत है तत्पश्चात उक्त साइबर ठगों द्वारा मौके पर ही विभिन्न बैकों की बीसीआईडी द्वारा किसान भाई के आधार कार्ड एवं अंगूठा को लगवाकर अपना नंबर जोड़ लेते है और खाते में रुकी हुई किस्त का पैसा आते ही खाते से पैसे को अन्य खाते में ट्रान्सफर कर लेते है। इस प्रकार की घटनाएं साइबर सेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हो रही है। इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहे,सतर्क रहे। इस प्रकार की ठगी करने वाले व्यक्तियों की सूचना अपने नजदीकी थाना पर या डायल-112 पर कॉल करके अवश्य दे जिससे इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड होने पर साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की

गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनाँक 04.04.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 178/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र वीरेन्द्र निवासी मवईकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।